

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-4 (1) लेखा/प्रतिबद्ध/2018-19/

दिनांक :-

समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (जोन)

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सेटेलाईट हॉस्पिटल/
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय।

अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा।

विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मसी, जयपुर।

प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर, जोधपुर।

प्रधानाचार्य, प0क0 प्रशिक्षण केन्द्र हीराबाग जयपुर।

समस्त सहायक औषधी नियंत्रक।

समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी क्षय निवारण केन्द्र/के.एन.टी.बी.सी. अजमेर।

समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।

संयुक्त निदेशक एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

राजकीय विश्लेषक, जयपुर।

मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर।

विषय:-वर्ष 2018-19 के लिए राज्य निधि एवं राज्य निधि प्रतिबद्ध के विभिन्न बजट मदों में
03-यात्रा व्यय एवं 04-चिकित्सा व्यय में लम्बित दायित्वों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में
भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2018-19 के लिये विभिन्न बजट मदों के अंतर्गत विस्तृत मद
03-यात्रा व्यय एवं 04-चिकित्सा व्यय में दिनांक 01.04.2018 को नियमानुसार देय पुनर्भरण योग्य राशि के
लम्बित रहे दायित्वों की नामवार, कार्यालयवार एवं लेखामदवार राज्य निधि एवं राज्य निधि प्रतिबद्ध की
पृथक-पृथक सूचना दिनांक 24.04.2018 तक आवश्यक रूप से भिजवावे ताकि ऐसे लम्बित दायित्वों के
निस्तारण हेतु प्रथमतः बजट आवंटन किया जा सके।

इस सम्बन्ध में यह भी ~~उल्लेखनीय~~ है कि निर्धारित दिनांक तक अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त
लम्बित दायित्वों की सूचना को अन्तिम मानकर उनके निस्तारण हेतु किये जाने वाले बजट आवंटन का
व्यय दिनांक 31.05.2018 तक आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जावे। उक्त दिनांक के
पश्चात अव्ययतीत राशि (Unspent amount) का प्रत्याहरण कर नियमित आवंटन किया जायेगा।

अतः उक्त सूचना निर्धारित प्रपत्र 'अ' तथा प्रपत्र 'ब' में आवश्यक रूप से निर्धारित दिनांक तक
भिजवाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (प्रपत्र 'अ' तथा 'ब')

३०

(जे0एल0जागिंड)
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए-4 (1) लेखा/प्रतिबद्ध/2018-19/ 03 दिनांक : 03/4/18

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी सर्वर, कृपया इस पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

३०

(जे0एल0जागिंड)
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

प्रपत्र--'अ'

कार्यालय का नाम -.....

क्र.सं.	लेखामद	कर्मचारी/अधिकारी का नाम व पदनाम	यात्रा अवधि	बकाया यात्रा बिल की राशि
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त यात्रा बिलों की जांच कर ली गई है। पुर्नभरण योग्य राशि कॉलम संख्या 5 में अंकित की गई है जो नियमानुसार देय है।

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम/द्वितीय

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष

कार्यालय का नाम-.....
लेखाभद-.....

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	रोग का नाम	कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा व्यय बिलों की राशि	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम/द्वितीय द्वारा बिलों की जांच अनुसार पुर्नभरण योग्य राशि
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा व्यय बिलों की जांच राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम-2013 तथा समय समय पर इस संदर्भ में पित्त विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के निर्देशों/नियमों के अनुसार चिकित्सा बिलों की जांच कर ली गई है। पुर्नभरण योग्य राशि कॉलम संख्या 5 में अंकित की गई है जो नियमानुसार देय है।

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम/द्वितीय

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष